

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक : प.21(6)साप्र/4/2022 पार्ट

जयपुर, दिनांक

13/6/22

मुख्य अभियन्ता (भवन),
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

स्वीकृति संख्या-9 /2022-23

विषय : गांधीनगर, जयपुर स्थित षष्ठम श्रेणी राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निम्नांकित षष्ठम श्रेणी राजकीय आवास में परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु राशि रूपये 5.02 लाख (अक्षरे रूपये पांच लाख दो हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क. सं.	आवासी का नाम व आवास सं.	आवास के लिए पूर्व आवंटन		प्रस्तावित कार्य का विवरण			कुल राशि
		ब्लॉक वर्ष	राशि	क. सं.	कार्य	राशि	
1	श्री शेर सिंह H-872	2022-23		1	roof repair work	0.12	1.09
		2023-24		2	bathroom renovation	0.30	
		2024-25		3	replacement of flush door	0.28	
				4	Mate tile with addasive and dismantling	0.24	
					Total A	0.94	
					Add:Cont. 2.5%	0.02	
					Total B	0.96	
					Add: Prorata 13%	0.13	
2	श्रीमती सुशीला देवी H-546	2022-23		1	bathroom renovation	0.30	1.14
		2023-24		2	toilet renovation work	0.25	
		2024-25		3	water tank 500 ltr	0.05	
				4	raising of compound wall	0.23	
				5	iron door	0.16	
					Total A	0.99	
					Add:Cont. 2.5%	0.02	
					Total B	1.01	
			Add: Prorata 13%	0.13			
3	श्री रामकृष्ण मीना H-520	2022-23		1	replacement of broken stone patti with dismantling	0.30	0.95
		2023-24		2	Mate tile with addasive and dismantling	0.26	
		2024-25		3	water storage tank with fitting	0.15	
				4	replacement MS door	0.07	
				5	raising of boundary wall with brick work & plaster	0.04	
					Total A	0.82	
					Add:Cont. 2.5%	0.02	
					Total B	0.84	
			Add: Prorata 13%	0.11			
4	श्री टिकम सिंह शेखावत H-670	2022-23		1	Tile work	0.32	0.95
		2023-24		2	pvc tank	0.10	
		2024-25		3	raising of compound wall	0.12	
				4	flush door	0.28	
					Total A	0.82	
					Add:Cont. 2.5%	0.02	
					Total B	0.84	
					Add: Prorata 13%	0.11	

5	श्री जितेन्द्र सिंह रावत H-518	2022-23	1	kitchen renovation	0.20	0.89
		2023-24	2	plaster repair	0.06	
		2024-25	3	Mate tile with addasive and dismantling	0.26	
			4	roof repair work	0.15	
			5	replacement of section window	0.05	
			6	water storage tank with fitting	0.05	
				Total A	0.77	
				Add:Cont. 2.5%	0.02	
				Total B	0.79	
				Add: Prorata 13%	0.10	
		Grand Total				

यह व्यय 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01- सरकारी रिहायशी भवन, 700- अन्य आवास (09) पंचम एवं षष्ठम श्रेणी के आवास [90] - निर्माण कार्य-स्कीम 16 -लघु निर्माण कार्य में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपलब्ध प्रावधान से वहन होगा।


कृपया यह सुनिश्चित करावें कि संबंधित आवास में स्वीकृत कार्यों पर ही राशि का व्यय किया जावे तथा कार्य पूर्ण करवाकर कम्प्लीशन प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

इस विभाग के पत्र क्रमांक 19(1)साप्र-4/2011 दिनांक 30.12.2011 के क्रम में लेख है कि समस्त संबंधित आवासियों से बजट उपयोगिता प्रमाण पत्र लिये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः कार्य पूर्ण होने पर संबंधित आवासी से बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जावे।

वित्त (सा.वि.ले.नि.) विभाग के आदेश क्रमांक प.3(2)वित्त/साविलेनि/2020 दिनांक 29.03.2022 के अन्तर्गत दिनांक 1.04.2022 से दिनांक 15.04.2022 तक आफलाईन जारी एएफएस हेतु वित्त (बजट) विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार एएफएस मॉड्यूल में प्रपत्र 14 बी में इन्द्राज एवं पीडब्ल्यूएफ एण्ड एआर की एसओपी के अनुसार सक्षम स्तर से ऑनलाईन स्वीकृति प्राप्त की जाने एवं इस प्रकार प्राप्त प्रोजेक्ट अप्रूअल आईडी का वॉम मॉड्यूल पर बिलों के भुगतान हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में fetch कर बिलों का भुगतान किया जाना है, जिनमें ऑनलाईन तकनीकी स्वीकृति, कार्यादेश जारी किया जाना तथा ऑनलाईन एमबी भरा जाना आवश्यक नहीं है। दिनांक 16.04.2022 से ऑनलाईन एएफएस ही मान्य है, इसलिए इस स्वीकृति के लिये ऑनलाईन एएफएस अलग से जारी की जा रही है।


आरटीपीपी अधिनियम 2012 एवं नियम 2013, समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुस्थापित सिद्धांतों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र क्रमांक (184) SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 (यथासंशोधित) के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करवाया जावे।

भवदीय


(डॉ. हर सहाय मीणा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है : -

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक वित्त (बजट) विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
6. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर वृत्त, जयपुर।
7. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-III, जयपुर।
8. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत खण्ड-II, जयपुर।
9. संबंधित आवासी।
10. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव